न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/213/2021 रजू दिनांकः 15.12.2021 रजि0 न0 2021/511

अपीलार्थीः–
श्री गजेन्द्र सिंह, निवासी बाम्बोली तहसील रामगढ़, पुलिस थाना उद्योग नगर, अलवर 301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 18.01.2022

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 08.12..2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 18.01.20222 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/11 दिनांक 12.01.2022 के माध्यम अवगत कराया है कि कार्यालय के पत्रांक 2055 दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से किये गये विनिश्चय के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होन, आंतरिक सुरक्षा से जुडी हुई होने एवं विस्तृत जनहित निहित नहीं होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(3), 8(1)(ई), 8(1)(जी) एवं 8(1)(जे) के तहत देय नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर